रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 2004/माघ 17, 1925
No. 28] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2004/MAGHA 17, 1925

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2004

सं. एल-7/25(6)/2004.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय - 1- प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(क) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें) विनियम, 2004 है ।

(ख) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं और निर्वचन

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ या विषयवस्तु से अन्यथा अपेक्षित न हो :--

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है ;

(ख) "आवेदक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने आयोग को अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन किया है :

परन्तु यह कि ऐसा व्यक्ति भारत का निवासी हो या भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत भागीदारी फर्म हो या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन समामेलित कोई कंपनी हो या

व्यष्टिक संगम या निकाय हो चाहे समामेलित हो या नहीं या भारतीय विधि के अधीन रहते हुए, कृत्रिम विधिक व्यक्ति हो ;

(ग) "करार" से एक ओर विद्युत व्यापारी और विद्युत विक्रेता तथा दूसरी ओर विद्युत व्यापारी और विद्युत क्रेता के बीच हुआ करार अभिप्रेत है ;

(घ) "आयोग" से अधिनियम की धारा 76 में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्यत विनियामक आयोग अभिप्रेत है ;

(ङ) "कारबार का संचालन विनियम" से समय-समय पर, यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 1999 अभिप्रेत है और इसमें इसकी कोई कानूनी अधिनियमिति भी सम्मिलित है ;

(च) "ग्रिड कोड" से अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड अभिप्रेत है और इसमें इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख को लागू भारतीय विद्युत ग्रिड कोड सम्मिलित है ;

(छ) "अंतर-राज्यिक व्यापार" से किसी एक राज्य-क्षेत्र से किसी दूसरे राज्य-क्षेत्र को विद्युत व्यापारी द्वारा विद्युत का अंतरण अभिप्रेत है ;

(ज) "अनुज्ञप्ति" से विद्युत व्यापारी के रूप में विद्युत का अंतर-राज्यिक व्यापार आरंभ करने के लिए अधिनियम की धारा 14 के अधीन प्रदत्त की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ;

(झ) "अनुज्ञप्तिधारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे अधिनियम की धारा 14 के अधीन विद्युत व्यापारी के रूप में विद्युत का अंतर-राज्यिक व्यापार आरंभ करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदत्त की गई है ;

(ञ) "अन्य कारबार" से अंतर-राज्यिक व्यापार के अनुज्ञप्त कारबार के सिवाय अनुज्ञप्तिधारी का कोई कारबार अभिप्रेत है ;

(ट) "वर्ष" से वर्ष के 1 अप्रैल से आगामी वर्ष के 31 मार्च तक की बारह मास की अवधि अभिप्रेत है ।

(2) यथापूर्वोक्त के सिवाय और जब तक कि संदर्भ या विषय के विरुद्ध अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम और ग्रिड कोड में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम या ग्रिड कोड में, क्रमशः हैं ।

(3) समय-समय पर, यथासंशोधित साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) के उपबंध इन विनियमों के निर्वचन के लिए ऐसे लागू होंगे मानो वे संसद् के अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होते हैं ।

(4) ये विनियम एक ओर उत्पादन कंपनी, जिसमें कैपटिव उत्पादन संयंत्र सम्मिलित है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी और विद्युत व्यापारी तथा दूसरी ओर विद्युत व्यापारी और वितरण अनुज्ञप्तिधारी के बीच द्विपक्षीय रूप से किए गए व्यापार को लागू होते हैं :

परन्तु यह कि इन विनियमों की परिधि और उपयुक्तता का राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वितरण में खुली पहुंच या आयोग द्वारा ऊर्जा विनिमय बाजार को आरंभ करने के लिए विनियमों की विरचना करने के साथ समय-समय पर, पुनर्विलोकन किया जा सकेगा ।

अध्याय - 2 अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु प्रक्रिया

3. इन विनियमों के अधीन सभी कार्यवाहियां कारबार संचालन विनियमों द्वारा शासित होंगी ।

4. (1) अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन आयोग को इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट रीति से, इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप-1 में किया जाएगा और उसके साथ ऐसी फीस संलग्न की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए :

परन्तु यह कि इस समय तक फीस केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाती है और अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले आवेदन के साथ 1.00 लाख रुपए (केवल एक लाख रुपए) की फीस संलग्न की जाएगी जो सहायक सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट या संदाय आदेश के माध्यम से

संदेय होगी और इस प्रकार संदत्त फीस, जब कभी भी फीस केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाती है, समायोजन के अध्यधीन होगी ।

(2) अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले आवेदन को उपाबंधों और संलग्नों के साथ आयोग की कम्पैक्ट डिस्क (सी.डी) पर प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) आवेदक अपनी स्वयं की वेबसाइट या प्राधिकृत किसी अन्य वेबसाइट पर पूर्ण आवेदन को उपाबंधों और संलग्नकों के साथ प्रदर्शित करेगा जिससे कि कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से आवेदन तक पहुंच सके ।

(4) आवेदक ऐसा आवेदन करने के पश्चात् 7 दिन के भीतर, कम से कम दो राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक समाचारपत्रों, जिसमें एक आर्थिक समाचारपत्र भी सम्मिलित है, और व्यापार के क्षेत्र या क्षेत्रों में आने वाले दो स्थानीय समाचारपत्रों में, जिसमें से एक देशी भाषा होगा, अपने आवेदन की सूचना निम्नलिखित विशिष्टियों के साथ प्रकाशित करेगा, अर्थात् :--

(क) आवेदक का नाम सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से होगा चाहे आवेदक व्यष्टिक हो, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत भागीदारी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन समामेलित कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जिसमें उसके कार्यालय का पता और कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन समामेलित कंपनी की दशा में, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते की पूर्ण विशिष्टियां भी होंगी ।

(ख) एक ऐसा कथन कि आवेदक ने, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अंतर-राज्यिक व्यापार में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया है ।

(ग) आवेदक का शेयरधारण पैटर्न, वित्तीय और तकनीकी सामर्थ्य और प्रबंध प्रोफाइल ;

(घ) अनुज्ञप्ति प्रदान करने के पश्चात् पहले वर्ष के दौरान व्यापार किए जाने के लिए आशयित विद्युत की मात्रा और अगले पांच वर्षों के दौरान व्यापार के लिए भावी योजनाएं ;

(ङ) इसी प्रकार के या वैसे ही क्रियाकलाप में आवेदक या व्यक्तियों के इसके प्रबंध पर पिछले अनुभव के ब्यौरे ;

(च) ऐसे भोगोलिक क्षेत्र, जिनमें आवेदक विद्युत में व्यापार आरंभ करेगा जैसा कि आयोग को किए गए आवेदन में कथित है ;

(छ) इस आशय का एक कथन कि आयोग के समक्ष फाइल किया गया आवेदन और अन्य दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा समय-समय पर निरीक्षण करने के लिए आवेदक के पास उपलब्ध हैं ;

(ज) ऐसे व्यक्ति, जिसके साथ किसी व्यक्ति द्वारा, आवेदन और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण किया जा सकता है, के नियंत्रणाधीन व्यक्ति का नाम और पता तथा अन्य सुसंगत ब्यौरे ;

(झ) इस आशय का एक कथन कि पूर्ण आवेदन आवेदक की वेबसाइट पर या उस वेबसाइट, जिसमें आवेदन उपलब्ध है, के ब्यौरों सहित किसी अन्य प्राधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध है ;

(ञ) आपत्तियों का कथन, यदि कोई हों, सूचना के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर, आवेदक को, आपत्तियों की प्रति सहित सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, सातवीं मंजिल, कोर-3, स्कोप काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 के समक्ष या उस पते पर, जहां आयोग का कार्यालय अवस्थित है, फाइल किया जाएगा ।

(5) आवेदक, यथापूर्वोक्त सूचना के प्रकाशन की तारीख से सात दिन के भीतर आयोग को प्रकाशित सूचना के ब्यौरों को शपथपत्र पर प्रस्तुत करेगा और उन समाचारपत्रों की सुसंगत प्रतियां भी फाइल करेगा जिनमें सूचना प्रकाशित हुई है ।

(6) आवेदक समाचारपत्रों में इसके प्रकाशन के पैंतालीस दिनों के भीतर सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर अपनी टीका-टिप्पणियां फाइल करेगा ।

(7) आयोग, सुनवाई के माध्यम से या सुनवाई के बिना, जैसा वह समुचित समझे, अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले आवेदन पर विचार करेगा :

परन्तु यह कि आयोग अपना यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अधीन ऐसी अनुज्ञप्ति को जारी करने के लिए अर्हित है, अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए आवेदन जारी कर सकेगा :

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्ति प्रदान करने से पूर्व, आयोग, ऐसे दो समाचारपत्रों में, जैसा वह आवश्यक समझे, अनुज्ञप्ति प्रदान करने के अपने प्रस्ताव की सूचना प्रकाशित करेगा जिसमें ऐसे अन्य ब्यौरों सहित जैसा वह उचित समझे, उस व्यक्ति का नाम और पता होगा जिसे अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए प्रस्तावित किया गया है ।

(8) यथासाध्यशीघ्र इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप 2 में विहित प्ररूप के अनुसार अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी ।

अध्याय-3 : विद्युत व्यापारी की अपेक्षाएं

5. तकनीकी अपेक्षाएं

(1) आवेदक कम से कम एक पूर्णकालिक वृत्तिक होगा जिसे निम्नलिखित में से प्रत्येक क्षेत्र में अनुभव हो, अर्थात् :--

(i) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन तथा ऊर्जा अंतरण के वाणिज्यिक पहलुओं ; और

(ii) वित्त, वाणिज्य और लेखा ।

(2) इस तथ्य के होते हुए भी कि आयोग ने अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान कर दी है, व्यापारिक गतिविधियां आरंभ करने से पूर्व, कर्मचारिवृंद की तकनीकी अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा ।

(3) आवेदक अंतर-राज्यिक व्यापार आरंभ करने से पूर्व, आयोग को उसके द्वारा पूर्णकालिक आधार पर नियोजित वृत्तिकों और सहायक कर्मचारिवृंदों का ब्यौरा देगा ।

6. **पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाएं और उधारपात्रता**---आरंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित अंतर-राज्यिक व्यापार की मात्रा पर विचार करते हुए, आवेदन के समय विद्युत व्यापारी का शुद्ध मूल्य नीचे विनिर्दिष्ट रकम से कम नहीं होगा :--

क्र.सं.	व्यापार अनुज्ञप्ति का प्रवर्ग	प्रतिवर्ष व्यापार किए जाने के लिए प्रस्तावित विद्युत की मात्रा (किलोवाट घंटों में)	शुद्ध धन (रुपए करोड़ में)
1	क	100 मिलियन तक	1.50
2	ख	100 से 200 मिलियन	3.0
3	ग	200 से 500 मिलियन	7.5
4	घ	500 से 700 मिलियन	10.0
5	ङ	700 से 1000 मिलियन	15.00
6	च	1000 मिलियन से ऊपर	20.00

अध्याय-4 : अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तें

7. **अनुज्ञप्तिधारी की बाध्यताएं**

अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित बाध्यताओं के अध्यधीन होगा, अर्थात् :--

(क) अनुज्ञप्तिधारी विधि में प्रवृत्त और विशिष्टतया अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनिमयों की अपेक्षाओं, ग्रिड कोड, आदेशों और आयोग और राज्य विद्युत विनियामक आयोग (आयोगों) द्वारा, समय-समय पर, जारी किए गए निदेशों का पालन करेगा ।

(ख) यदि व्यापार की मात्रा निम्न प्रवर्ग से उच्च प्रवर्ग की ओर बढ़ती है तो अनुज्ञप्तिधारी अपने शुद्ध धन में वृद्धि करेगा और प्रवर्ग के परिवर्तन पर प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को व्यापार की गई विद्युत की मात्रा के आधार पर विनिश्चय किया जाएगा और जिस वर्ष अनुज्ञप्तिधारी एक प्रवर्ग से दूसरे प्रवर्ग की ओर बढ़ने तथा शुद्ध धन में पश्चात्वर्ती परिवर्तन की सूचना आयोग को देगा ।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा, समय-समय पर यथा नियत अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए व्यापार मार्जिन के अधीन रहते हुए होगा ।

(घ) ऐसा अनुज्ञप्तिधारी, जो विद्युत व्यापारी है, इन विनियमों में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट तकनीकी अपेक्षाओं, पूंजी पर्याप्तता अपेक्षा और उधारपात्रता द्वारा शासित होगा और जब व्यापार की मात्रा में वृद्धि होती है तब इन तकनीकी और पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं, जिसमें कर्मचारिवृंद भी हैं, में वृद्धि करेगा ।

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी व्यापार आरंभ करने से पूर्व, टेलीफोन, फैक्स, कंप्यूटर, इंटरनेट सुविधाओं जैसी पर्याप्त संचार सुविधाएं स्थापित करेगा ।

(च) अनुज्ञप्तिधारी, व्यापार से संबंधित सभी क्रियाकलापों की बाबत, यथास्थिति, प्रादेशिक विद्युत बोर्डों या प्रादेशिक ऊर्जा समितियों, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों/राज्य भार प्रेषण केन्द्रों और केन्द्रीय पारेषण उपयोगिताओं/राज्य पारेषण उपयोगिताओं के साथ समन्वय करेगा ;

(छ) अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति से संबंधित सभी कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए सभी प्रकार की सहायता देगा ।

(ज) व्यापार पक्षकारों के बीच समुचित संविदा करके द्विपक्षीय रूप से किया जाएगा । विद्युत के प्रदाय के संबंध में व्यापार के माध्यम से आवश्यक सुरक्षोपाय किए जाएंगे या व्यापार किए गए विद्युत के लिए संदाय को पक्षकारों के बीच हुए करार में सम्मिलित किया जाएगा । सभी व्यापार संबंधी ठहराव प्रत्यय-पत्र या किसी अन्य उच्चतर लिखत के माध्यम से किए जाएंगे ।

(झ) अनुज्ञप्तिधारी इसके अधीन विनिर्दिष्ट समय अनुसूची के अनुसार, इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेगा ।

(ञ) अनुज्ञप्तिधारी वर्ष में चार क्रमवर्ती तिमाही के लिए व्यापार क्रियाकलाप आरंभ करने हेतु कोई लोप नहीं करेगा या उपेक्षा नहीं करेगा ।

(ट) अनुज्ञप्तिधारी ऐसा कोई प्रमुख करार नहीं करेगा जिससे उसकी प्रधान स्थिति का दुरुपयोग होता है या किसी ऐसे समुच्चय में प्रवेश करता है जिससे विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

(ठ) अनुज्ञप्तिधारी अपने ग्राहकों और उसके द्वारा अन्य पक्षकारों के साथ आरंभ किए गए संव्यवहारों का अद्यतन अभिलेख रखेगा ।

8. **प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप**

(1) अनुज्ञप्तिधारी आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना:--

(i) किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी की उपयोगिता को क्रय करके या ग्रहण करके या अन्यथा अर्जित नहीं करेगा ; या

(ii) अपनी उपयोगिता का किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी की उपयोगिता के साथ विलय नहीं करेगा ; या

(iii) क्रय, पट्टा, विनिमय या अन्यथा द्वारा अपनी अनुज्ञप्ति को किसी व्यक्ति को नहीं सौंपेगा या उसे अंतरित नहीं करेगा ।

(2) अनुज्ञप्तिधारी विद्युत के पारेषण के कारबार में नहीं लगेगा ।

(3) जब कभी आयोग का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित हो, अनुज्ञप्तिधारी कारबार का संचालन विनियमों के अनुसार, आयोग के समक्ष समुचित आवेदन फाइल करेगा ।

9. **अनुज्ञप्ति फीस का संदाय**

(1) अनुज्ञप्तिधारी आयोग को नीचे विनिर्दिष्ट रकम की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेगा, जो सहायक सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट या संदाय आदेश द्वारा संदेय होगी :--

क्र.सं0	प्रवर्ग	प्रतिवर्ष व्यापार किए जाने के लिए प्रस्तावित विद्युत की मात्रा (किलो वाट, घंटों में)	अनुज्ञप्ति फीस (रुपए लाख में)
1	क	100 मिलियन तक	1.00
2	ख	100 से 200 मिलियन	2.00
3	ग	200 से 500 मिलियन	5.00
4	घ	500 से 700 मिलियन	7.00
5	ङ	700 से 1000 मिलियन	10.00
6	च	1000 से ऊपर	15.00

परन्तु यह कि वर्ष के भाग के लिए अनुज्ञप्ति फीस दिनों की संख्या के आधार पर यथानुपात संदेय होगी :

परन्तु यह और कि वर्ष के भाग के लिए आनुपातिक आधार पर संगणित अनुज्ञप्ति फीस को सौ रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा ।

(2) अनुज्ञप्ति फीस प्रत्येक वर्ष के 15 अप्रैल तक संदत्त की जाएगी और यदि व्यापारी ने निम्न प्रवर्ग से उच्च प्रवर्ग की ओर व्यापार किया है तो अनुज्ञप्ति फीस का शेष प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल से पूर्व संदत्त किया जाएगा :

परन्तु यह कि अनुज्ञप्ति फीस की पहली किस्त, अनुज्ञप्ति जारी होने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर संदत्त की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति फीस या उसके भाग का संदाय करने में असफल रहता है तो वह अनुज्ञप्ति फीस की अवधि या उसके असंदत्त किसी भाग के लिए प्रत्येक फीस या उसके किसी भाग के लिए संदेय अनुज्ञप्ति फीस के 1% की दर से बकाया रकम पर देर से संदाय करने वाले अधिभार का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

(3) यथापूर्वोक्त देर से संदाय करने वाले अधिभार का संदाय करने की अनुज्ञप्तिधारी के दायित्व के अधीन रहते हुए, अनुज्ञप्ति फीस या उसके भाग के संदाय में विलंब का अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के भंग के रूप में अर्थ लगाया जाएगा और अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत कर लिया जाएगा ।

10. अनुज्ञप्तिधारी के लेखे

(1) अनुज्ञप्तिधारी,-

(क) अनुज्ञप्ति में सम्मिलित अंतर-राज्यिक व्यापार के कारबार के लिए लेखाओं की पृथक् जानकारी देगा और विवरणों को बनाए रखेगा ।

(ख) ऐसे प्ररूप में लेखाओं का विवरण बनाए रखेगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं और ऐसे समय तक जब तक, ये आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अनुसार लेखाओं को बनाए रखेगा ।

(ग) अंतर-राज्यिक व्यापार के कारबार के लेखाओं को अन्य कारबार से पृथक् रखेगा चाहे वे अनुज्ञप्त हों या अन्यथा ।

(घ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए समरूप आधार पर ऐसे अभिलेख लेखांकन विवरणों को तैयार करेगा जिसमें लाभ और हानि लेखा, तुलनपत्र और स्रोत का विवरण तथा उसके टिप्पणों सहित निधियों का उपयोजन होगा और उसमें ऐसे किसी भी राजस्व, लागत, आस्ति, दायित्व, आरक्षिति या प्रावधान की रकम पृथक् रूप से दर्शित करेगा जो,-

(i) किसी अन्य कारबार से या उसको उस प्रभार के आधार के विवरण के साथ प्रभारित की गई हो, या

(ii) प्रभाजन या आबंटन के आधार के वर्णन के साथ-साथ विभिन्न कारबार या क्रियाकलापों के बीच प्रभाजन या आबंटन द्वारा अवधारित की गई हो,

(ङ) पूर्वगामी खंडों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष के संबंध में लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट के संबंध में, तैयार किए गए लेखांकन विवरण प्रदान करेगा चाहे उनकी राय में यह कथन किया गया हो कि विवरण पर्याप्त रूप से तैयार किए गए हैं और ऐसे कारबार, जिससे संबंधित वे विवरण हैं, से युक्तियुक्त रूप से हुए माने जा सकने वाले राजस्व, लागत, आस्तियां और दायित्व, आरक्षितियों का ठीक और स्पष्ट दृष्टिकोण देगा, और

(च) उस वर्ष, जिससे वे संबंधित हैं, की समाप्ति के पश्चात् नौ मास से अन्यून की लेखांकन विवरणों और संपरीक्षकों की रिपोर्ट की प्रति आयोग को देगा ।

(2) आयोग द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति अनुज्ञप्तिधारी के लेखाओं का निरीक्षण करने और उन्हें सत्यापित करने का हकदार होगा और अनुज्ञप्तिधारी ऐसे व्यक्ति को सभी आवश्यक सहायता देगा ।

11. जानकारी का दिया जाना

अनुज्ञप्तिधारी--

(क) ऐसी जानकारी देगा, जो समय-समय पर, आयोग द्वारा मांगी जाए ;

(ख) ऐसी जानकारी देगा, जो अनुज्ञप्तिधारी के कार्य-निष्पादन का मानीटर करने और जानकारी देने के लिए इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप 3 में अपेक्षित अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों तथा अन्य विधायी अथवा विनियामकों के अनुपालन के लिए, समय-समय पर, अपेक्षित हो :

परन्तु यह कि विहित प्ररूप में जानकारी आयोग को उसकी एक प्रति सहित, यथास्थिति, प्रादेशिक प्रेषण केन्द्र और प्रादेशिक विद्युत बोर्ड या प्रादेशिक ऊर्जा समिति को क्रमशः, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर और अक्तूबर से दिसंबर के तिमाही के लिए अप्रैल, जुलाई, अक्तूबर और उसके जनवरी के 10वें दिन को तिमाही आधार पर दी जाएगी और जानकारी देने वाले प्ररूप को पूर्ण रूप से भरा जाएगा और और कोई भी स्तंभ को खाली नहीं छोड़ा जाएगा :

परन्तु यह और कि, यथास्थिति, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और प्रादेशिक विद्युत बोर्ड या प्रादेशिक ऊर्जा समिति को भेजी गई रिपोर्ट को विद्युत व्यापारी की वेबसाइट या किसी अन्य प्राधिकृत वेबसाइट पर डाला जाएगा :

परन्तु यह भी कि, यथास्थिति, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और प्रादेशिक विद्युत बोर्ड या प्रादेशिक विद्युत समिति रिपोर्ट में यथाउपदर्शित व्यापार की गई ऊर्जा की मात्रा को सत्यापित करेगा और उसके संबंध में आयोग को एक रिपोर्ट भेजेगा ।

12. कार्य-निष्पादन के मानक

(1) आयोग, अनुज्ञप्तिधारी से परामर्श करने के पश्चात्, अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारियों के किसी वर्ग के लिए कार्य-निष्पादन के मानक विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

(2) अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त खंड (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आगामी तिमाही के पहले मास के पन्द्रहवें दिन तक इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप-4 में विहित प्ररूप में 31 मार्च,, 30 जून, 30 सितम्बर और 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले तिमाही के लिए त्रैमासिक आधार पर आयोग को प्रत्येक वर्ष के कार्य-निष्पादन के ब्यौरे देगा ।

13. विवेकाधीन रिपोर्ट करना

अनुज्ञप्तिधारी यथासाध्यशीघ्रता से आयोग को,--

(क) अपनी उन परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन के संबंध में, रिपोर्ट देगा जिससे अनुज्ञप्तिधारी की योग्यता पर अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों, आयोग द्वारा जारी किए गए निदेशों और आदेशों, ग्रिड कोड, करार या अनुज्ञप्ति के अधीन उसकी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए प्रभाव पड़े ;

(ख) किसी ऐसी तात्विक बात के संबध में, रिपोर्ट देगा जिससे अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों, आयोग द्वारा जारी किए गए निदेशों और आदेशों, ग्रिड कोड, करार या अनुज्ञप्ति के उपबंध भंग हों ; और

(ग) अनुज्ञप्तिधारी के शेयरधारण पैटर्न, स्वामित्व या प्रबंध प्रोफाइल में कोई मुख्य परिवर्तन के संबंध में रिपोर्ट देगा ।

14. अनुज्ञप्ति का संशोधन

(1) अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों को आयोग द्वारा लोक हित में या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए आवेदन पर उपांतरित किया जा सकेगा ।

(2) यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों में किसी भी परिवर्तन या उपांतरण के लिए आवेदन करता है तो इसमें ऊपर विनियम 4 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी ।

15. अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण

(1) अधिनियम की धारा 19 के अनुसार आयोग निम्नलिखित किसी भी दशा में, किसी अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत कर सकेगा, अर्थात् :--

(i) जहां आयोग की राय में, अनुज्ञप्तिधारी, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों द्वारा या उसके अधीन अपेक्षित कोई बात करने में जानबूझकर और बिलंबित व्यतिक्रम करता है ;

(ii) जहां अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों में से किसी को भंग करता है, जिसके भंग होने से ऐसी अनुज्ञप्ति द्वारा उसके प्रतिसंहरण का दायी होना स्पष्ट रूप से घोषित है ;

(iii) जहां अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति द्वारा इस निमित्त नियत अवधि के भीतर या किसी ऐसी दीर्घतर अवधि के भीतर, असफल रहता है जो आयोग अपने समाधानप्रद रूप में यह दर्शित करने के लिए अनुज्ञात करे कि वह अनुज्ञप्ति द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों और बाध्यताओं का पूर्णतः और दक्षतापूर्ण निर्वहन करने की स्थिति में है ;

(iv) जहां आयोग की राय में, अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह अपनी अनुज्ञप्ति द्वारा उसे अधिरोपित कर्तव्यों और बाध्यताओं का पूर्णतः तथा दक्षतापूर्ण निर्वहन करने में असमर्थ है ;

(v) जहां अनुज्ञप्तिधारी चार पूर्ववर्ती तिमाही के लिए विद्युत में व्यापार करने में असफल हो गया है या उसने अपेक्षा की है :

परन्तु यह कि अनुज्ञप्ति को केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति से अधिनियम की धारा 143 के अधीन, सिवाय आयोग द्वारा नियुक्त न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जांच किए जाने के पश्चात् प्रतिसंहृत नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि आयोग उपरोक्त खंड (1) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण करने के बजाय, उसे ऐसे अतिरिक्त निबधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, प्रवर्तन में बने रहने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और इस प्रकार अधिरोपित कोई भी अतिरिक्त निबंधन और शर्तें अनुज्ञप्तिधारी

पर आबद्धकर होगी तथा उसके द्वारा उनका पालन किया जाएगा और ऐसे निबंधनों और शर्तों का वैसा ही बल और प्रभाव होगा मानो वह अनुज्ञप्ति में अंतर्विष्ट हों ।

(2) जब अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन करता है और आयोग का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा लोक हित में अपेक्षित है तो आयोग उसकी अनुज्ञप्ति को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, प्रतिसंहृत कर सकेगा :

(3) आयोग अनुज्ञप्तिधारी पर प्रतिसंहरण की सूचना की तामील करेगा तथा वह तारीख नियत करेगा जिस तारीख को प्रतिसंहरण प्रभावी होगा ।

16. पत्र-व्यवहार

(1) अनुज्ञप्ति से संबंधित सभी पत्र-व्यवहार लिखित में होंगे और संबोधिती को व्यक्तिगत रूप से या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को भेजे जाएंगे या संबोधिती के कारबार के स्थान पर रजिस्ट्रीकृत या स्पीड डाक द्वारा भेजे जाएंगे ।

(2) सभी संसूचनाएं भेजने वाले द्वारा तब दी गई और संबोधिती द्वारा तब प्राप्त की गई समझी जाएंगी जब-

(i) संबोधिती को व्यक्तिगत रूप से या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को भेजी जाती हैं ; और

(ii) संबोधिती के पते पर रजिस्ट्रीकृत या स्पीड डाक द्वारा भेजने की तारीख से पन्द्रह दिन की समाप्ति पर भेजी जाती हैं ।

17. शिथिल करने की शक्ति

आयोग समुचित मामलों में और लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए इन विनियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकेगा ।

ए. के. सचान, सचिव

[विज्ञापन III/IV/असाधारण/150/03]

प्ररूप-1

अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन का प्ररूप

आवेदक की विशिष्टियां

1. आवेदक का नाम :
2. पता :
3. नाम, पदनाम और संपर्क करने वाले व्यक्ति का पता :
4. संपर्क टेलीफोन नम्बर
5. फैक्स नम्बर
6. ई-मेल आई डी
7. समामेलन/रजिस्ट्रीकरण का स्थान
8. समामेलन/रजिस्ट्रीकरण का वर्ष
9. निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने हैं

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

(ख) कारबार आरंभ करने का प्रमाणपत्र

(ग) संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद

(घ) आवेदक या उसके संप्रवर्तक.....को हस्ताक्षरकर्ता के मूल मुख्तारनामे की सुपर्दगी

(ङ) आय-कर रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे

आवेदक के वित्तीय आंकड़ों के ब्यौरे

10. पिछले ठीक पांच वित्तीय वर्षों के लिए कुल धन (भारतीय रुपए के समकक्ष-प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में विद्यमान विनियम की दर पर संपरिवर्तन किया जाना है) (यथा लागू वित्तीय वर्ष विनिर्दिष्ट करें)

(ता0/मास/वर्ष) से (ता0/मास/वर्ष)	स्वदेशी करेंसी	प्रयुक्त विनिमय दर	भारतीय रुपए के समकक्ष
(क) वर्ष 1( ) से ( ) तक	---	----	-----
(ख) वर्ष 2( ) से ( ) तक	---	----	-----
(ग) वर्ष 3( ) से ( ) तक	---	----	-----
(घ) वर्ष 4( ) से ( ) तक	---	----	-----
(ङ) वर्ष 5( ) से ( ) तक	---	----	-----

(च) उपरोक्त के समर्थन में वार्षिक रिपोर्टों या प्रमाणित संपरीक्षित परिणामों की प्रतियां संलग्न की जानी हैं ।

11. पिछले ठीक पांच वित्तीय वर्षों के वार्षिक आवर्तन (भारतीय रुपए के समकक्ष-प्रत्येक वर्ष के अंत में विद्यमान विनिमय की दर पर संपरिवर्तन किया जाना है)(यथा लागू वित्तीय वर्ष विनिर्दिष्ट करें)

(ता0/मास/वर्ष) से (ता0/मास/वर्ष)	स्वदेशी करेंसी	प्रयुक्त विनिमय दर	भारतीय रुपए के समकक्ष
(क) वर्ष 1( ) से ( ) तक	---	----	-----
(ख) वर्ष 2( ) से ( ) तक	---	----	-----
(ग) वर्ष 3( ) से ( ) तक	---	----	-----

(घ) वर्ष 4( ) से ( ) तक --- ---- -----

(ङ) वर्ष 5( ) से ( ) तक --- ---- -----

(च) उपरोक्त के समर्थन में, वार्षिक रिपोर्टों या प्रमाणित संपरीक्षित परिणामों की प्रतियां संलग्न की जानी हैं ।

12. उपरोक्त क्रम सं0 (10) और (11) के समर्थन में, निम्नलिखित संलग्न दस्तावेजों की सूची :

दस्तावेज का नाम

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

13. (क) क्या आवेदक स्वयं अपने तुलन-पत्र पर प्रस्तावित व्यापार का पूर्णतया वित्तपोषण करेगां हां/नहीं

(ख) यदि हां, तो आवेदक से प्रस्तावित ईक्विटी

(i) रकम ;
(ii) प्रतिशतता ।

14. यदि आवेदक इक्विटी के लिए किसी अन्य अभिकरण के साथ प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्तावित है तो ऐसे अभिकरण का नाम और पता :

क) अन्य अभिकरण के संदर्भ व्यक्ति का नाम, पद-नाम और पता

ख) संपर्क टेलीफोन नम्बर

ग) फैक्स नम्बर

घ) ई मेल डी

ङ) अन्य अभिकरण से प्रस्तावित इक्विटी

(i) स्कम

(ii) कुल इक्विटी की प्रतिशतता

(iii) वह करेंसी जिसमें इक्विटी प्रस्तावित है

(च) इक्विटी में भाग लेने के लिए आवेदक के साथ सहबद्ध अन्य अभिकरण के सहमति पत्र को संलग्न किया जाना है

(छ) आवेदक और अन्य अभिकरण के बीच प्रस्तावित प्रतिबंध की प्रकृति

15. व्यापार क्रियाकलापों के लिए प्रस्तावित ऋण के ब्यौरे

क) उधारदाता के ब्यौरे

ख) विभिन्न उधारदाताओं से प्राप्त की जाने वाली स्कम

ग) उपरोक्त के समर्थन में उधारदाताओं के पत्र को संलग्न किया जाना है

16. आवेदक की संगठनात्मक और प्रबंधकीय योग्यता :

(आवेदक से विभिन्न कार्यपालकों, प्रस्तावित कार्यालय और संचार सुविधाओं आदि की प्रस्तावित संगठनात्मक संरचना और बायोडाटा के प्ररूप में इन विनियमों के अनुसार अपनी संगठनात्मक और प्रबंधकीय योग्यता के सबूत को संलग्न करने की अपेक्षा की जाती है)

17. प्रस्ताव और पद्धति :

(आवेदक से व्यापार हकदावों की स्थापना के लिए विहित प्रस्ताव और वर्गीकरण की अपेक्षा की जाती है जैसा आवेदक द्वारा प्रस्तावित है)

तारीख :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

प्ररूप-2

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

विद्युत व्यापारी के रूप में विद्युत में व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्ति

विद्युत अधिनियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आयोग" कहा गया है) अधिनियम (विशिष्टतया, इसकी धारा 17 से धारा 22, जिसमें दोनों सम्मिलित हैं), केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है) और आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "विनियम" कहा गया है) जिनमें कानूनी संशोधन, परिवर्तन, उपांतरण, उसकी अधिनियमितियां भी सम्मिलित हैं, जो इस अनुज्ञप्ति के भाग रूप में पढ़े जाएंगे, में अंतर्विष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, ...क्षेत्र में विद्युत व्यापारी के रूप में विद्युत में व्यापार करने के लिए....., (जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है) को--प्रवर्ग के रूप में यह अनुज्ञप्ति प्रदान करता है ।

2. सिवाय अधिनियम, नियमों तथा विनियमों के उपबंधों के अनुसार, यह अनुज्ञप्ति अंतरणीय नहीं है ।

3. (1) कोई भी अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना,--

(क) किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी की उपयोगिता के संबंध में, क्रय द्वारा या ग्रहण करके या अन्यथा अर्जित करने का कोई संव्यवहार नहीं करेगा ; या

(ख) अपनी उपयोगिता का किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी के साथ विलयन नहीं करेगा ;

(2) कोई भी अनुज्ञप्तिधारी, किसी भी समय, आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना विक्रय, पट्टे, विनिमय या अन्यथा द्वारा अपनी अनुज्ञप्ति को समनुदिष्ट नहीं करेगा या उसकी उपयोगिता का अंतरण नहीं करेगा ।

(3) उपखंड (1) और उपखंड (2) में निर्दिष्ट किसी संव्यवहार से संबंधित कोई करार जब तक कि वह आयोग के पूर्व अनुमोदन के या उसके अधीन नहीं किया गया हो, शून्य होगा ।

4. अनुज्ञप्तिधारी को यह अनुज्ञप्ति प्रदान करने से विद्युत व्यापारी के रूप में विद्युत का कारबार करने के लिए उसी क्षेत्र में किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आयोग के अधिकार किसी भी रूप में बाधित या निर्बंधित नहीं होंगे । अनुज्ञप्तिधारी अनन्य रूप से कोई भी दावा नहीं करेगा ।

5. अनुज्ञप्ति इसके जारी होने की तारीख से प्रारंभ होगी और जब तक कि वह पहले प्रतिसंहृत नहीं कर ली जाती है, 25 (पच्चीस) वर्ष की अवधि के लिए प्रवर्तन में रहेगी ।

6. अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के पूर्व अनुमोदन से, अपनी आस्तियों का अधिकतम उपयोग करने के लिए कोई भीं कारबार कर सकेगा :

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी विद्युत के पारेषण का कारबार नहीं करेगा ।

7. आयोग द्वारा जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट हो, अनुज्ञप्तिधारी .....लाख रुपए की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेगा और वर्ष के भाग के लिए अनुज्ञप्ति फीस सौ रुपए के निकटतम तक पूर्णांकित किए गए आनुपातिक आधार पर संदत्त होगी ।

इस खंड के प्रयोजन के लिए, "वर्ष" से कलैंडर वर्ष के 1 अप्रैल से आगामी कलैंडर वर्ष के 31 मार्च तक बारह मास की अवधि अभिप्रेत है ।

8. अधिनियम की धारा 19 से धारा 22, दोनों सहित, में अंतर्विष्ट उपबंध अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण और उसकी उपयोगिता के विक्रय का संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी को लागू होंगे ।

स्थान : नई दिल्ली ।

तारीख :